

एनसीजेनो (सी.डी.) एनसीजेनो
न्यायालय कोर्ट संख्या-0, गाजिदाबाद स्थान शुद्धिभाव ६

जिला गाजिदाबाद

मूल संख्या OS. 695/2014

संस्थित-दिनांक ३० मास ०५

सन: 20 14 ई०

श्रीमती इशा चादव पत्नी कृष्ण पाल चादव निवासी
वि. नं. कालोनी मुरादनगर, चाने, ज. गावने तहसील
गाजिदाबाद जिला गाजिदाबाद

बनाम

जानेश सिंह चादव पुत्र स्व. महेश चादव निवासी
मूल ग्राम हरिकोखेज जिला बागपत हाल नैतम
खरीर जल अलीगढ़ जिला अलीगढ़

प्रतिवादी

न्यायालय का नाम -
वाद संख्या -
पक्षकारों का नाम -



उपर लिखे गये हैं वह पक्षकारों ने
तारीख के प्रयोजन से दाखिल किये हैं।

आदेश

मूलधामन को 3,00,000/- रुपये
अप्रामाण्य 500/- रुपये

16. यह है कि वाद का मूलधामन अंकन 30 लाख रुपये कीमत
विवादित सम्पत्ति द्विचक्र शरद अथवा शरद पर सिपा लागत
निश्चित रूप शुल्क वास्तु स्वर्दी निषेधात्मक निषेधात्मक है
अधिकतम अंकन 500 अथवा सिपा लागत है

शुद्धिभाव ६

अभिवक्ता क.

वादी के लिए श्री सत्यदेव वर्मा एडवोकेट

अभिवक्ता


और प्रतिवादी के लिये श्री राकेश जैन एडवोकेट

को उपस्थिति में इस वाद के आज श्री राम नाम पाठक द्वारा शिवाजी जेठा (सी.डी.) कोर्ट सं. 6 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर यह आदिष्ट और आज्ञाप किया जाता है कि-

ग्राजियाबाद

आदिष्ट

प्रस्तुत वाद उभय पक्ष के मध्य हुए आपसी समझौते जामे कागज संख्या 119 का व 50 का जो शर्तों के अनुरूप शिवाजी जेठा है। समझौते नाम केवल समझौते के पक्षकारों के बीच प्रभाव होगा किन्तु तृतीय पक्षकार के हित व दायित्व पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। समझौते जामे कागज संख्या 119 का व 50 का डिली का भाग होगा, वाद के आवश्यक कार्यवाही पतावली नियमानुसार दायित्व समुदाय है।



को रशि आज की तारीख से ज्ञापन की प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित

को दी जाये।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के सहित आज दिनांक को दी गई।

30 मास 4 सन् 2019 ई0

आदिष्ट दिनांक 18-4-19

हस्ताक्षर दिनांक 30-4-19

सत्य कोटो प्रतिनिधि
मुख्य प्रतिनिधिक
सिविल कोर्ट, ग्राजियाबाद

Ram nam Pathak
न्यायाधीश।
ए0सी0जे0 (सी0डि) / ए0सी0जे0ए0
कोर्ट संख्या-8, ग्राजियाबाद

17. यह कि जर्बनी निम्न प्रविष्टों पार्के ही प्रापना करती है -

- अ. यह कि न्यायालय की स्वामी निवेद्यात्मक निवेद्यात्मक की डिमी विरुद्ध प्रविष्टी इस आशय से पारित की जावे की प्रविष्टी विवादिन अवन सिद्ध खसरा ३०१५. नि. ग्राम माहमपुर छोटा. पुराना लजालोवाँ २० मोदीनगर जिला जालियाबाद (जिसका प्र. मोहल्ला न्यू डिफेन्स कालोनी मुसदकार, मुसदकार चाने के सामने तहसील मोदीनगर जिला जालियाबादी पर अपना आवेदन मजला करने व वादनी के अग्रगत प्रजाग प्र किसी प्रकार से विहन आधा उत्पन्न करने से अदालत के लिये बाल रहे।
- ब. यह कि वाद लय वादनी को प्रविष्टी से दिवात जावे।
- द. यह कि प्रत्येक मोदी अनुसूचित राष्ट्र अदालत हिन्दू वादनी विरुद्ध प्रविष्टी ही प्रदान की जावे।





Urgent Photo Mark Center
 IN
 State
 691
 Court B. Adv. Code-77
 Mobile - 9866121128
 Email - jain4441@gmail.com



आपसी समझौता एवम् रसीद

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व० श्री महेन्द्र सिंह यादव माता स्व०
 श्रीमति उर्मिला देवी तैनाती अपर जिला जज इलाहाबाद।

50 रु.
 प्रथम पक्ष

एवम्

श्रीमति ऊषा यादव पत्नी श्री कृष्णपाल यादव एडवोकेट निवासी- डिफेन्स
 कालोनी मुरादनगर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला
 गाजियाबाद।

..... द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष एवम् द्वितीय पक्ष आपस में भांजा
 एवम् सगी मौसी है अर्थात् प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सगी बहन स्व०
 श्रीमति उर्मिला यादव पत्नी स्व० श्री महेन्द्र सिंह यादव का बेटा है।
 प्रथमपक्ष की माता के नाम एक प्लॉट / मकान बजरिये बैनामा दिनांक-
 10.07.1991 को क्रय किया था तथा उस पर निर्माण किया, प्रथम
 पक्ष पिता के स्वर्गवास के पश्चात अपनी मौसी द्वितीय पक्ष के साथ
 अपनी माता के साथ रहा और एक आर्दश उच्च शिक्षा ग्रहण की
 प्रथमपक्ष की माता श्रीमति उर्मिला देवी द्वारा एक पंजीकृत वसीयत
 दिनांक- 03.06.2013 को की गयी। प्रथम पक्ष की माता जी का
 स्वर्गवास दिनांक- 30.06.2014 को हो जाने पर आपस में मकान के
 ऊपर विवाद उत्पन्न हुआ। शहर के मौजिज एवम् परिवार के बिरादरी के
 सम्मानित व्यक्तियों के बीच में पड जाने के कारण आपस में सदभावी
 रूप से समझौता हो गया है। किसी भी वाद विवाद में न पडते हुये
 द्वितीय पक्ष प्रथमपक्ष को अपनी स्वैच्छा से वाद के नितारण हेतु मौजिज
 व्यक्तियों व प्रथम पक्ष ने स्वयं स्वीकार करते हुए अंकन 15 लाख

ऊषा यादव

[Signature]



रूपये उक्त मकान के सम्बन्ध में बिना किसी दबाव एंवम अपनी स्वेच्छा से उक्त मकान मे जो भी हक बनता है या नही द्वितीय पक्ष से बजरिये एन.ई. एफ.टी नं0 पी19041528715680 से दिनांक 15.04.2019 से बैंक ट्रेड टैक्स बिल्डिंग, राजनगर शाखा गाजियाबाद से अपने बैंक एकाउन्ट नं0 11120779688 एस.बी.आई बैंक शाखा अलीगढ जिसका आई.एफ.एस.सी कोड SBIN0000604 में प्राप्त कर लिये है। भविष्य में प्रथम पक्ष या उसके वारिसान से उपरोक्त मकान का कोई सम्बन्ध नही रहा है और ना ही होगा। उक्त मकान की तन्हा मालिक, काबिज वसीयतनामा दिनांक 03.06.2013 के आधार पर द्वितीय पक्ष है और रहेगी जिसको प्रथम पक्ष अथवा उसके वारिसान को वसीयत एंव मकान के सम्बन्ध में चुनौती देने का अधिकार नही होगा। द्वितीय पक्ष उस मकान को जिस प्रकार चाहे, प्रयोग, इस्तेमाल, विक्रय आदि करने की अधिकारी होगी। प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति करने का अधिकार नही होगा। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के विरुद्ध वाद संख्या-695/2014 न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) षष्ठम गाजियाबाद के न्यायालय में श्रीमति उषा यादव बनाम ज्ञानेन्द्र यादव व किमिनल रिवीजन संख्या- 247/2014 उषा यादव बनाम ज्ञानेन्द्र यादव धारा- 145 सी आर.पी.सी अतिरिक्त जिला जज गाजियाबाद के न्यायालय में विचाराधीन विवादो में श्रीमति उषा यादव व ज्ञानेन्द्र यादव के मध्य कोई विवाद नही रहा है।

अतः यह आपसी समझौता रूबरू गवाहान लिख दिया है ताकि सनद रहे व वक्त बेवक्त काम आवें।

द्वितीय पक्ष

उषा यादव

प्रथम पक्ष

[Handwritten Signature]


गवाहान

[Handwritten Signature]
16/4/19

K-729 अक्षर - 23

संलग्न गवाहान जोर धार





न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी०डि०) षष्ठम महोदय गाजियाबाद।

वाद स०- 695 / 2014

श्रीमति ऊषा

बनाम

ज्ञानेन्द्र यादव

श्रीमान जी,

निवेदन है कि शहर के मौजिज एवम् सम्मानित व्यक्तियों के बीच में पड जाने के कारण दोनों पक्षों का आपस में समझौता हो गया है। प्रथम पक्ष मकान स्थित डिफेन्स कालोनी मुरादनगर तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद जिसकी सीमाये पूरब- मकान विनोद, पश्चिम - रास्ता, उत्तर - रास्ता, दक्षिण मकान मदन उर्फ पप्पी है। कि उर्मिला देवी जो कि वादनी की सगी बहन के नाम बजरिये बैनामा दिनांक- 10.07.1991 में वादनी व द्वितीय पक्ष की माता ने बैनामा कराया था। श्रीमति उर्मिला देवी ने उक्त सम्पत्ति की बाबत अपनी स्वेच्छ से बिना किसी बहकाव व दवाब के व स्वास्थचित एवम् इन्द्रियों के अनुसार मुख्तारनामा व पंजीकृत वसीयत दिनांक- 03.06.2013 को सब रजिस्टार कार्यालय मोदीनगर में पंजीकृत करायी थी। श्रीमति उर्मिला देवी जो कि वादनी की बडी बहन थी का स्वर्गवास दिनांक- 30.03.2014 को हो गया। उनके स्वर्गवास के पश्चात वादनी उक्त मकान की तन्हा मालिक काबिज चली आती हैं। किन्तु आपसी मनमुटाव के कारण दोनों पक्षों में उक्त भवन के सम्बन्ध में विवाद पैदा हो गया। इसी कारण वादनी की स्व० बहन उर्मिला देवी द्वारा की गयी पंजीकृत वसीयत के सम्बन्ध में वाद विवाद उत्पन्न हुआ। वादनी के हक में जो रजिस्टर्ड वसीयत की गयी सही है। जो भी वाद विवाद वादनी एवम् प्रतिवादी के मध्य जहां कही भी चल रहे हैं इस समझौते के आधार पर खारिज समझे जायेंगे तथा धारा 145 सी०आर०पी०सी० के तहत वाद

ऊषा यादव

Jyandev



समझौतानामा कागज सं० 49 क व 50 क मय शपथपत्र 51 ग व 52 ग उभय पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। समझौतानामा पर वादिनी श्रीमती उषा की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सत्यदेव वर्मा तथा प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र यादव की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश जैन द्वारा की गयी और फोटो को तस्दीक किया गया। समझौतानामा 49 क व 50 क पक्षकारों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिसे पक्षकारों ने सुनकर सही होने का कथन किया गया। समझौतानामा खुले न्यायालय में तस्दीक किया गया।

दिनांक 16.4.19

16/04/19
अपर सिविल जज (सी०डि०)

कोर्ट संख्या-6, गाजियाबाद

उषा यादव

Shedfred
रामदेव वर्मा
16.4.19

by anand

2d.
P. Jain
16/04/19



4971
2

को स्वीकार किये जाने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि प्रश्नगत मकान स्थित डिफेन्स कालोनी मुरादनगर जिला गाजियाबाद की वादनी तन्हा मालिक व काबिज होने के कारण प्रतिवादी व उसके वारिसान का कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही होगा। दोनो पक्षों के बीच कोई वाद विवाद नहीं रहा है। यह फैसला पारिवारिक शान्ति प्रिय रूप से सदभावी रूप से हुआ है। वाद उपरोक्त आपसी समझौते के आधार पर डिक्री किया जावे। खर्चा पक्षकारान दोनो पक्षों स्वयं वहन करेगे एवम् समझौता की डिक्री का भाग बनाया जावे।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रश्नगत भवन स्थित डिफेन्स कालोनी (विवादित भवन) वाद वादनी वसीयत दिनांक- 03.06.2013 सही है एवम् वैध है तथा वादनी मकान मालिक काबिज हैं वाद सत्यन समझौते के आधार पर निर्णित किया जाये समझौता डिक्री का भाग रहेगा खर्चा फरीकैन स्वयं अपना - अपना वहन करेगें।

दिनांक- 16.4.19

Ryannur
प्रतिवादी

R. Jain

द्वारा-

RAKESH JAIN
Advocate
Reg. No. U. P. 1993, Ch. No. 691
Civil Court - 26, Adv. Code-77
Mobile - 9868124128
Email - jain4444@gmail.com

द्वारा-

रुष्म यादव

वादनी

Satydev Sharma
सत्यदेव शर्मा

एडवोकेट

चै 0 नं 409-410

सिविल कोर्ट काठानगर गाजियाबाद

सत्य फॉटो प्रतिलिपि

सत्य फॉटो प्रतिलिपि